

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्या- 1468 रोपी/2020-177एफए/01-Vol-II

सेवा में

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर परिवहन निगम।

दिनांक: 26 नवम्बर, 2020

जा.र.
26/11/20

विषय- कंटीन एवं स्टॉल नियमावली के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-362 रोपी/2020-177एफए/01-वाल्जूम-II दिनांक 20, मार्च, 2020/22-05-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर स्थित कंटीन एवं स्टॉल के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। निदेशक मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 19.11.2020 की मद संख्या-20 द्वारा पारित संकल्प के क्रम में संशोधित कंटीन एवं स्टॉल नियमावली, 2020 संलग्न कर प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न)। कृपया नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

पूर्व नियमावली/दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जारी किये गये टेण्डर, जो कि अभी तक अंतिमीकृत नहीं किये गये हैं कि टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त करके उक्त संशोधित नियमावली के अनुसार कार्यवाही पुनः सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(धीरज साह)
प्रबंध निदेशक B/C

26/11/20

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम



निदेशक मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 19-11-2020 के
मद संख्या-20 में पारित संकल्प के क्रम में निर्गत संशोधित
कैन्टीन एवं स्टाल नियमावली नवम्बर, 2020

पत्र संख्या- 1668 रोपी/2020-177एफए/01-Vol-II दिनांक 26 नवम्बर, 2020 का संलग्नक

**बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न कैन्टीन/स्टाल
सम्बन्धी नियमावली-2020 की विषय सूची**

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	कैन्टीन एवं स्टाल नियमावली के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्या 1468रोपी/2020-177 एफए/01-Vol-II दिनांक 26.11.2020	
2	नियमावली कवर पेज	1
3	विषय-सूची	2
4	अध्याय-1 स्टाल के सम्बन्ध में	3-5
5	अध्याय-2 स्टाल नीलामी के सम्बन्ध में	6-7
6	अध्याय-3 निविदा प्रक्रिया	8-11
7	अध्याय-4 व्यवस्थायें	12-12
8	अध्याय-5 संचालित हो रहे स्टाल्स के सम्बन्ध में निर्देश	13-13
9	अध्याय-6 शासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित व्यवस्था	14-14
10	अध्याय-7 नवसृजित स्टाल	15-15
11	अध्याय-8 अनुबन्ध	16-16
12	अध्याय-9 लाइसेंस शुल्क	17-17
13	अध्याय-10 सामान के मूल्य/गुणवत्ता का निर्धारण	18-21
14	निविदा प्रपत्र	22-22
15	तकनीकी बिड का प्रारूप	23-23
16	वित्तीय बिड का प्रारूप	24-24

**उ०प्र० परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न
कैण्टीन/स्टालों/पार्किंग नियमावली-2020**

अध्याय-1 स्टाल के सम्बन्ध में

A. बस स्टेशन पर अनुमन्य स्थायी स्टॉल:-

1. जलपान गृह ।
2. जनरल मर्चेन्ट ।
3. बुक स्टाल ।
4. फल स्टाल ।
5. साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/कार, पार्किंग स्टैण्ड ।
6. मेडिकल स्टोर ।
7. मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रानिक्स गुड्स ।
8. बिजनेस सेन्टर ।
9. एच०पी०एम०सी० तथा पंजाब एग्री के जूस डिस्पेंसिंग यूनिट ।
10. पी०सी०डी०एफ० के पराग बूथ ।
11. गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अमूल मिल्क पार्लर आदि ।

निषेध:-

पान/पान मसाला/गुटखा अथवा अन्य किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद एवं पी०सी०ओ० स्टॉल को किसी भी बस स्टेशन पर आवंटित नहीं किया जायेगा ।

B- क्षेत्रीय समिति/क्षेत्राधिकार

1. उपर्युक्त सूची-A प्रस्तर के क्रम संख्या 1 से 4 तक के स्टाल प्रत्येक बस स्टेशन पर रहेंगे ।
2. उक्त स्टालों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उत्पादित विशेष वस्तुओं के पृथक स्टाल खोले जा सकते हैं, जिसका निर्धारण क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा । इस नियमावली हेतु क्षेत्रीय समिति का अभिप्राय निम्नांकित है:-

क्षेत्रीय प्रबन्धक – अध्यक्ष

सेवा प्रबन्धक – सदस्य

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) अथवा जहां सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) की तैनाती नहीं है वहां सहायक लेखाधिकारी सदस्य रहेंगे ।

जिला क्षेत्रीय मुख्यालय के वरिष्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक – सदस्य

3. उक्त स्टालों के अतिरिक्त यदि क्षेत्रीय समिति उपयुक्त पाती है तो अन्य स्टॉल अथवा एक ही प्रकृति के स्टाल की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।
4. इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय समिति यह अवश्य सुनिश्चित करेगी कि उक्त प्रकार के स्टाल की वृद्धि करने से निगम के उस बस स्टेशन से प्राप्त कुल राजस्व में पूर्व के सापेक्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी।

C- रु0 1,00,000 /- लाइसेन्स शुल्क से अधिक स्टाल हेतु व्यवस्था

ऐसी कैंटीन जिनका लाइसेन्स शुल्क प्रतिमाह रु0 1,00,000 /- (रुपया एक लाख मात्र) अथवा उससे अधिक है, उन्हें ही निम्नांकित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के तहत अधिकतम एक ट्राली लगाने की अनुमति दी जायेगी:-

1. ट्राली इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे यात्रियों/बसों के आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
2. कैंटीन संचालक द्वारा अनुमन्य अधिकतम एक ट्राली हेतु लाइसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत मासिक अतिरिक्त जमा किया जायेगा।

D- छोटे बस स्टेशनों के सम्बन्ध में निर्देश

अत्यन्त छोटे बस स्टेशन जहाँ प्रतिदिन 30 बसों से कम का प्रस्थान हो, पर पांच स्टाल्स को मिलाकर एक स्टाल "सम्मिलित स्टाल" (Combined Stall) के रूप में दिया जा सकता है।

ऐसे स्टाल संचालक का दायित्व होगा कि वह पूर्ण बस स्टेशन पर सफाई, प्रकाश, शौचालय/मूत्रालय की पर्याप्त सफाई करवाना सुनिश्चित करें। ऐसा स्टाल संचालक बस स्टेशन पर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही विभिन्न स्टाल्स का संचालन करेगा तथा नियमानुसार अपनी लाइसेन्स शुल्क प्रत्येक माह जमा करेगा।

E- स्टाल का क्षेत्रफल।

सभी स्टाल के लिए निर्धारित स्थान, उसका क्षेत्रफल आदि का निर्धारण क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा टेण्डर में उक्त स्थान का स्पष्ट उल्लेख रहेगा जिसकी जानकारी निविदादाता प्राप्त कर सकता है।

F- स्टाल की अवधि।

समस्त स्टालों की अधिकतम संचालन अवधि 03 वर्ष होगी तथा स्टाल के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वयमेव की जाती रहेगी।

G- अस्थाई स्टाल

अस्थाई स्टाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दैनिक दर पर क्षेत्रीय समिति किसी स्टाल के संचालन की अपरिहार्य आवश्यकता की यदि संस्तुति करती है तो मुख्यालय के अनुमोदन उपरान्त ही ऐसे स्टाल प्रतिदिन के आधार पर टेण्डर के अन्तिमकृत होने तक अथवा अधिकतम 03 माह के लिये नियमानुसार दिया जा सकेगा। प्रतिदिन के आधार पर 3 माह हेतु दिये गये स्टाल की इसी अवधि में नियमित निविदा कार्यवाही पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा न होने की स्थिति में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। इस तीन माह की अवधि को विस्तारित करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

अध्याय-2 स्टाल नीलामी के सम्बन्ध में

A- स्टॉल नीलामी सक्षम स्तर:-

रु0 2.50 लाख वार्षिक लाइसेंस शुल्क (वर्तमान लाइसेंसी हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क के आधार पर आगणित) तक की निविदाओं को अन्तिमकृत करने हेतु निम्नांकित क्षेत्रीय समिति अधिकृत होगी:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. क्षेत्रीय प्रबन्धक | अध्यक्ष । |
| 2. सेवा प्रबन्धक | सदस्य । |
| 3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) अथवा जहां सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) की तैनाती नहीं है वहां सहायक लेखाधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे। | सदस्य । |
| 4. क्षेत्रीय जिला मुख्यालय के सबसे वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक | सदस्य । |

अ- क्षेत्रीय/डिपो स्तर पर संचालित स्टाल हेतु नीलामी प्रक्रिया के उपरान्त पूर्व में प्राप्त हो रही मासिक लाइसेन्स शुल्क की धनराशि के समकक्ष या अधिक की निविदा प्राप्त होने की स्थिति में क्षेत्रीय समिति द्वारा स्टाल की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

ब- गत दरों से कम दरें प्राप्त होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी, तीन बार लगातार कम दरें प्राप्त होने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन) की अध्यक्षता में मुख्यालय पर गठित समिति द्वारा अपर प्रबन्ध निदेशक को स्वीकृति/ अस्वीकृति हेतु संस्तुति की जायेगी।

प्रस्तर A- ब के अनुसार कम दर प्राप्त होने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु आरक्षित मूल्य के सम्बन्ध में विचार करने योग्य बिन्दु-

1. बस स्टेशन से तथा बस स्टेशन से होकर संचालित होने वाली बसों की संख्या।
2. गत तीन माह में प्रति दिवस औसत यात्री के आवगमन की स्थिति।
3. बस स्टेशन के बाहर निजी स्टालों की स्थिति।
4. आस-पास की आबादी एवं वाणिज्यिक संस्थानों की स्थिति।

B- रु. 2.50 लाख से अधिक के वार्षिक लाइसेन्स शुल्क (वर्तमान लाइसेंसी हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क के आधार पर आगणित) तक के स्टॉल की निविदा कार्यवाही क्षेत्रीय स्तर पर नियमानुसार पूर्ण कर क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के उपरान्त निगम मुख्यालय पर गठित समिति द्वारा अन्तिमकृत की जायेगी।

C- प्रस्तर A- ब पर विचार करने हेतु मुख्यालय पर गठित समिति-

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) | अध्यक्ष । |
| 2. वित्त नियंत्रक | सदस्य । |

3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) सदस्य।
4. प्रधान प्रबन्धक (कैण्टीन/स्टॉल) सदस्य।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति पर अपर प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

- D-** उपरोक्त क्षेत्रीय समिति द्वारा रु. 5.00 लाख वार्षिक से अधिक लाइसेंस शुल्क (वर्तमान लाइसेंसी हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क के आधार पर आगणित) के सभी स्टॉल ई-टेण्डर के द्वारा nic/up की वेबसाइट <https://:etender.up.nic.in> के माध्यम से निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत संचालित कराये जायेंगे, जिसकी स्वीकृति अपर प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी।

अध्याय-3 निविदा प्रक्रिया

A- निविदा प्रक्रिया :-

बस स्टेशनों पर स्थापित स्टालों हेतु निविदा निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com के माध्यम से निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत अन्तिमकृत करने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

- (i) प्रत्येक स्टाल की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के कम से कम 06 माह पूर्व से ही उसकी निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी जिससे स्टाल रिक्त न रहे।
- (ii) स्थानीय समाचार पत्र में मित्तव्ययता देखते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 14 दिवसों के बाद तकनीकी बिड खोलना अनिवार्य होगा।
- (iii) सभी स्टॉल हेतु निविदा नोटिस का प्रकाशन निगम की वेबसाइट के अतिरिक्त सम्बन्धित बस स्टेशन एवं स्थानीय समाचार पत्र में **मित्तव्ययता देखते हुए** भी कराया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) निविदा प्रपत्र नियमावली सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से रूपया 500/- जीएसटी अतिरिक्त (रू0 पांच सौ) पर क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद, स्वप्रमाणित करते हुये, निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न की जायेगी। एक स्टॉल के लिये एक ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा।
- (v) निविदा प्रपत्र को निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। वेबसाइट से डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र शुल्क रूपया 500/- जीएसटी अतिरिक्त निगम कोष में जमा कराकर जमा रसीद की स्वप्रमाणित प्रति अथवा समतुल्य राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vi) वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में डाली जायेगी। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड अंकित किया जायेगा। 02 बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- (vii) निविदादाता सील्ड निविदा, सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय पर स्थित टेण्डर बाक्स में अपरान्ह 02:00 बजे तक डाल सकेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे निविदादातों के समक्ष खोला जायेगा।

- (viii) स्टॉल की नीलामी का निस्तारण निविदा की औपचारिकताएं पूर्ण करने पर प्राप्त उच्चतम दरों के आधार पर किया जायेगा।
- (ix) सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात ही अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो सकेगा
- (x) सफल निविदादाता को समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने तथा अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर स्टाल संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
- (xi) प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने की दशा में निविदा के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, सम्बन्धित निविदादाताओं को क्षेत्रीय स्तर से नियमानुसार वापस किये जायेंगे।
- (xii) निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार, अध्याय-2 के प्राविधान के अनुसार होगा।
- (xiii) किसी भी स्टाल हेतु मासिक लाइसेन्स शुल्क के अधिकतम निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न किए जाने की स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्ट करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

B- अर्नेस्ट मनी :-

- (i) प्रत्येक स्थायी स्टाल हेतु अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) का निर्धारण, सम्बन्धित स्टाल की पूर्व निविदा में प्राप्त हो रहे मासिक लाइसेन्स शुल्क (प्रचलित दर) के 03 गुना के समतुल्य होगा। इस धनराशि को क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। *अस्थायी स्टाल की अर्नेस्ट मनी पूर्व में नियमित रूप से संचालित उस स्टाल के 01 माह के मासिक लाइसेंस शुल्क के समतुल्य होगी।*
- (ii) अध्याय-1 के बिन्दु-G के अन्तर्गत चिन्हित स्टाल की अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) रू0 50,000/- रहेगी।
- (iii) नवसृजित स्टाल की अर्नेस्ट मनी रू0 50,000/- रहेगी।

C- प्रतिभूति

- (i) समस्त सफल निविदादाताओं द्वारा उनकी बिड में प्रस्तावित मासिक लाइसेन्स शुल्क की 03 गुना धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। सफल

निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की देय धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

- (ii) अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर नियमानुसार प्रतिभूति धनराशि वापस की जायेगी।

D- तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्तें हैं:-

1. जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची (**Black List**) में हैं, वे निविदा डालने के लिए अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा काली सूची (**Black List**) में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आधार कार्ड संख्या (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा)।
3. पैन कार्ड संख्या (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा)।
4. अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम दिया जायेगा, जो कार्यालय में जमा होगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात ही अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो सकेगा।

E- दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट प्राविधान-

1. प्रत्येक क्षेत्र में 01 बस स्टेशन, जिसकी सूची निम्नवत है, में फल का स्टॉल दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रहेगा :-

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	बस स्टेशन का नाम
1	आगरा	आगरा फोर्ट
2	गाजियाबाद	गाजियाबाद
3	मेरठ	मेरठ
4	सहारनपुर	सहारनपुर
5	नोएडा	नोएडा
6	अलीगढ़	अलीगढ़
7	मुरादाबाद	मुरादाबाद
8	बरेली	बरेली सेटेलाइट
9	इटवा	इटवा
10	हरदोई	हरदोई
11	कानपुर	झंकरकटी
12	लखनऊ	कैसरबाग
13	झांसी	शून्य-नगर निगम में स्थापित
14	अयोध्या	अयोध्या
15	प्रयागराज	सिविल लाइन
16	आजमगढ़	आजमगढ़

17	गोरखपुर	गोरखपुर
18	वाराणसी	वाराणसी
19	देवीपाटन	बहराइच
20	चित्रकूटधाम	बांदा

2. उक्त स्टाल का आवंटन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें केवल दिव्यांगजन ही प्रतिभाग कर सकेंगे।
3. निविदा हेतु वह दिव्यांगजन अर्ह होंगे, जिनके पास जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र हो तथा उनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।
4. दिव्यांगजनों हेतु अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की धनराशि सामान्य निविदादाता के लिए उस स्टॉल हेतु निर्धारित धनराशि के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।
5. दिव्यांगजनों के लिए शेष शर्तें वही होंगी, जो सामान्यतः अन्य निविदादाता के लिए हैं।

अध्याय-4 व्यवस्थायें

A- अन्य व्यवस्थायें:-

क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टॉल/कैन्टीन के संचालकों द्वारा मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत किया जा रहा है।

B- पी0पी0पी0 से आच्छादित बस स्टेशन के सम्बन्ध में

उ0प्र0 परिवहन निगम के ऐसे बस स्टेशन जो पी0पी0पी0 योजना से आच्छादित हैं उनमें भी स्टाल की नीलामी/निविदा स्थायी स्टाल के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। उक्त स्टेशनों पर संचालित स्टाल के अनुबन्ध में अवधि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि पी0पी0पी0 योजना के अंतर्गत स्टाल की नियमित अवधि तीन वर्ष अथवा डेवलेपर (Developer) को बस स्टेशन हस्तान्तरित करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक स्टाल संचालित किया जा सकेगा।

अध्याय-5 संचालित हो रहे स्टाल के सम्बन्ध में निर्देश

A- पूर्व से संचालित स्टाल हेतु व्यवस्था :-

प्रत्येक क्षेत्र में संचालित ऐसे स्टाल जिनकी अवधि 06 माह शेष हो अथवा जो स्टाल वर्तमान में रिक्त चल रहे हो, के संचालन हेतु निविदा क्षेत्रीय स्तर से निगम वेबसाइट WWW.UPSRTC.COM पर अपलोड करायी जायेगी। वृहद प्रचार-प्रसार हेतु निविदा क्षेत्रीय कार्यालय, डिपो एवं बस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचार पत्र में भी निविदा नोटिस का प्रकाशन किया जायेगा।

अध्याय-6 शासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित व्यवस्था

A- बस स्टेशनों पर संचालित एच0पी0एम0सी0 तथा पंजाब एग्रों के जूस डिस्पेंसिंग यूनिट पी0सी0डी0एफ0 के पराग बूथ, गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अमूल मिल्क पार्लर एवं अन्य के सम्बन्ध में निर्देश

बस स्टेशनों पर संचालित एच0पी0एम0सी0 तथा पंजाब एग्रों के जूस डिस्पेंसिंग यूनिट पी0सी0डी0एफ0 के पराग बूथ, गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अमूल मिल्क पार्लर एवं शासन द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थाओं के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था प्रभावी होगी:—

1. उपरोक्तानुसार उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत संचालित स्टाल, निविदा प्रक्रिया से आच्छादित नहीं होंगे।
2. सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं को परिवहन निगम द्वारा उनके आग्रह पर स्टाल का आवंटन उपलब्धता होने पर ही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
3. उक्त संस्थाओं के अधिकृत व्यक्ति को उनके संस्था के आग्रह पर परिवहन निगम द्वारा आवंटित किया जायेगा।
4. इन स्टालों के संचालन की अनुबन्धन अवधि 03 वर्ष की होगी।
5. इस श्रेणी के समस्त स्टाल आवेदन प्राप्त होने पर अन्तिम संचालित लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके पुनः 03 वर्ष हेतु संचालित करने की अनुमति दी जा सकेगी। प्रत्येक आगामी वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
6. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था यह सहमति व्यक्त करेगी कि यदि किसी कारण विशेष से परिवहन निगम चिन्हांकित स्टाल को बन्द करने का अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उसका उपयोग करना चाहता है, तो तत्काल उक्त स्टाल खाली कराने का दायित्व संस्था का होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-7 बन्द एवं नवसृजित स्टाल

A- बन्द एवं नवसृजित स्टाल का निस्तारण :-

पिछले 06 माह या इससे अधिक अवधि से बन्द पड़े स्टाल एवं ऐसे बस स्टेशनों, जिन पर अभी तक कोई स्टाल नहीं चल रहा है मे किसी बस स्टेशन पर चलाये जाने वाले घोषित स्टाल को नवसृजित करके उक्त उन सभी स्टाल के लिए अलग-अलग आरक्षित मूल्य (विद्यमान परिस्थितियों मे स्टाल हेतु प्राप्त होने वाला अधिकतम अनुमानित मासिक लाइसेंस शुल्क) सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नवसृजित स्टाल का अर्नेस्ट मनी-रु0 50,000/- होगा।

क्षेत्रीय समिति आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए सम्बन्धित स्थान के बारे में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करेगी:-

1. बस स्टेशन से तथा बस स्टेशन से होकर संचालित होने वाली बसों की संख्या
2. गत तीन माह में प्रति दिवस औसत यात्री के आवगमन की स्थिति।
3. बस स्टेशन के बाहर निजी स्टालों की स्थिति।
4. आस-पास की आबादी एवं वाणिज्यिक संस्थानों की स्थिति।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति आरक्षित मूल्यों का निर्धारण करेगी एवं संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। ऐसी रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

B- समय से पूर्व स्टाल संचालक द्वारा स्टाल को छोड़ने की स्थिति में कार्यवाही :-

यदि स्टाल संचालक बीच में ही स्टाल छोड़कर चला जाता है तो प्रतिपूर्ति जब्त कर ली जायेगी परन्तु यदि स्टाल संचालक अनुबन्ध में निर्धारित 03 माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली करता है तो उसके अन्य देयकों को प्रतिपूर्ति में से समायोजित करते हुए शेष धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

अध्याय-8 अनुबन्ध**A- अनुबन्ध का निष्पादन :-**

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह किसी भी स्टाल को आरम्भ करने से पूर्व सफल निविदादाता के साथ नियमानुसार निगम मुख्यालय की शर्तानुसार अनुबन्ध निष्पादित कराएं।

B- अनुबन्ध समाप्ति :-

निगम एवं स्टाल संचालक दोनों के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित रहेगा।

अध्याय-9 लाइसेंस शुल्क

A- लाइसेंस शुल्क जमा करने की तिथि :-

1. अनुबन्ध में स्टाल के संचालन हेतु घोषित तिथि से लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक स्टाल के संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाइसेंस शुल्क जमा कराया जायेगा।
3. 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 11वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस शुल्क का 1/20वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा करना होगा।
4. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख को स्वयमेव समाप्त हुआ मानते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-10 सामान के मूल्य/गुणवत्ता का निर्धारण एवं अन्य शर्तें

A- विक्रय किए जाने वाले सामान के मूल्य/गुणवत्ता का निर्धारण :-

स्टाल संचालक के लिए आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित दर एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही सामान विक्रय किया जाय। स्टाल में विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु को उसमें अंकित MRP से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता है। क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्टाल में विक्रय किए जाने वाले सामान, उसके मूल्य (यदि एमआरपी निर्धारित नहीं है) एवं गुणवत्ता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। मूल्य सूची के प्रदर्शन का दायित्व डिपो प्रबन्धक/स्टाल संचालक का होगा।

- | | |
|--|----------|
| 1. क्षेत्रीय प्रबन्धक | अध्यक्ष। |
| 2. सेवा प्रबन्धक | सदस्य। |
| 3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) अथवा जहां सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) की तैनाती नहीं है वहां सहायक लेखाधिकारी | सदस्य। |
| 4. क्षेत्रीय जिला मुख्यालय के सबसे वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक | सदस्य। |
| 5. सम्बन्धित स्टाल का एक प्रतिनिधि | सदस्य। |

यह समिति प्रत्येक दिसम्बर माह में आगामी वर्ष के लिए उपरोक्त कार्यवाही करेगी तथा इसका कार्यवृत्त मुख्यालय को भी सूचनार्थ भेजा जाएगा। समिति की संस्तुति अगले वर्ष की 01 जनवरी से प्रभावी होगी।

B- स्टाल की गुणवत्ता एवं यात्री संतुष्टि पर नियंत्रण :-

स्टाल की उच्चस्तरीय गुणवत्ता एवं यात्री संतुष्टि के लिए निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्टाल संचालक को एक परिवाद पुस्तिका रखनी आवश्यक होगी जिसका प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण स्टाल संचालक द्वारा स्वयं स्टेशन प्रभारी को कराया जायेगा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में कम से कम एक बार इसका निरीक्षण करेंगे।
2. प्राप्त किसी भी परिवाद/निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी (क्षेत्रीय प्रबन्धक) के स्तर पर इसकी जाँच सुनिश्चित की जायेगी। जाँच में दोषी पाये जाने पर स्टाल संचालक से निम्नवत् आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा तथा कार्यवाही की जायेगी :-

सिद्ध परिवाद	मासिक लाइसेंस शुल्क का प्रतिशत जो आर्थिक दण्ड के रूप में वसूला जायेगा।
प्रथम बार	20%
द्वितीय बार	30%
तृतीय बार	50%

यदि उपरोक्त से भी सुधार नहीं होता है तो चौथी बार जमा प्रतिभूति जब्त करते हुए अनुबन्ध समाप्ति एवं निविदादाता को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

- 3 खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट अथवा नकली ब्राण्ड के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचे जाने, अथवा निगम परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए अनुबन्ध निरस्त किये जाने, प्रतिभूति जब्त किये जाने एवं स्टाल संचालक को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 4 उपरोक्त के संबंध में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रतिवेदन स्टाल संचालक द्वारा प्रधान प्रबन्धक (कैन्टीन/स्टाल) मुख्यालय को किया जा सकता है, जिनके द्वारा क्षेत्र विशेष के प्रत्यावेदन के निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार निगम मुख्यालय स्तर से की जायेगी।
- 5 स्टाल की गुणवत्ता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर सघन नियंत्रण एवं अनुश्रवण के निमित्त प्रत्येक नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 अपने कार्य क्षेत्र में निरीक्षण के समय इन स्टाल का भी निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे तथा यह कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि वर्ष में स0क्षे0प्र0 स्तर पर शतप्रतिशत, क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत तथा नोडल अधिकारी स्तर पर 10 प्रतिशत स्टालों का निरीक्षण हो जाये।

C- गुणवत्ता का अनुश्रवण :-

समय-समय पर प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) द्वारा भी स्टालों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजा जायेगा। इन निरीक्षणों में निम्नलिखित बिन्दु विशेषकर देखे जायेंगे –

1. आवंटित स्थल से अधिक स्थान घेरना।
2. स्टाल पर स्वच्छता।
3. निर्धारित मूल्यों के सापेक्ष चार्ज की जा रही दरें।
4. फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था।
5. स्टाल का रख रखाव।
6. परिवाद पुस्तिका का रख रखाव एवं निस्तारण।
7. लाइसेंस शुल्क का समय से जमा होना।
8. प्रतिभूति का जमा होना।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टाल संचालक के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्षेत्रीय समिति के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आवंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल अधिगृहीत पाये जाने पर स्टाल संचालक से उस स्थल के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक सर्किल दर के आधार पर प्रतिमाह वसूली की जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध समाप्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

D- स्टाल के कार्मिकों की वर्दी :-

स्टाफ के कार्मिकों को वर्दी नेवी ब्लू (Navy Blue) रंग की होगी अथवा परिवहन निगम द्वारा विनिर्दिष्ट रंग की होगी।

E- अन्य शर्तें :-

1. स्टाल संचालक द्वारा निगम से निर्धारित स्थल पर ही स्टाल का संचालन किया जाएगा। निगम की अनुमति से अस्थाई शेड इत्यादि बनाया जा सकता है, जिसे स्टाल की समाप्ति पर स्वयं के खर्च पर हटाना होगा। ऐसे अस्थाई शेड, काउन्टर इत्यादि बनाते समय सक्षम अधिकारी के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। स्टाल पर टाइल्स का प्रयोग स्वच्छता के दृष्टिगत किया जाएगा।
2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित सभी टैक्स इत्यादि यदि कोई हो तो उसे स्टाल संचालक स्वयं भुगतान करेगा। स्थानीय संस्थाओं के नियमों का भी पालन उसे करना होगा।
3. स्टाल संचालक द्वारा विद्युत कनेक्शन स्वयं के खर्च पर प्राप्त किया जायेगा एवं उपभोग की गयी विद्युत का भुगतान स्टाल संचालक द्वारा प्रत्येक माह स्वयं किया जायेगा।
4. स्टाल संचालक सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री में स्वच्छता रखेगा एवं ऐसी व्यवस्था करेगा जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। सभी सामान जाली अथवा शीशे से बन्द शो केस में रखकर बिक्री करेगा।
5. अपने स्टाल की प्रत्येक 6 माह में एक बार उपयुक्त स्तर की पुताई एवं रंगाई कराएगा। निगम द्वारा इसे कराने पर इसकी धनराशि स्टाल संचालन से वसूल की जायेगी।
6. स्टाल संचालक द्वारा कोयले, लकड़ी, बुरादा आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
7. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट (Sublet) नहीं करेगा।
8. स्टाल एवं उसके आस-पास के स्थान को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने का दायित्व स्टाल संचालक का होगा।

9. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
10. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी टैक्स आदि के संबंध में जारी दिशा-निर्देश व अन्य नियम-शर्तें प्रभावी होंगी।

उपरोक्त 1 से 10 की अवहेलना पर **अध्याय-10 के नियम संख्या-B-2** के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

F- निगम की क्षतिपूर्ति :-

किसी भी सामान की बिक्री के कारण यदि कोई विधिक अथवा अन्य कठिनाई आती है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद, क्षतिपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही की जाती है तो उसका पूर्ण दायित्व स्टाल संचालक का होगा।

- G-** शहर में कर्फ्यू लगने, हड़ताल अथवा प्राकृतिक विपदाओं के समय ऐसी परिस्थितियों में जो स्टाल संचालक के नियंत्रण से बाहर हो तथा जहाँ स्टाल संचालक का व्यवसाय 10 दिन से अन्यून अवधि तक प्रभावित हो गया हो, क्षेत्रीय समिति प्रभावित दिनों तक के लिए लाइसेंस शुल्क की छूट प्रदान करने हेतु मुख्यालय को संस्तुति करेगी। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अपर प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक महोदय का होगा।

- H-** निगम को यह अधिकार होगा वह स्टाल संचालक को किसी भी समय केवल अच्छी गुणवत्ता के सामान की बिक्री के निर्देश जारी करें। स्टाल संचालक ऐसे निर्देश का अनुपालन करने को बाध्य होगा।

परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ

मूल्य 500.00 रूपये
रसीद संख्या

निविदा प्रपत्र का प्रारूप

निविदा जारी करने का दिनांक:.....

1. निविदा का विवरण:-

- क्षेत्र का नाम :-
- जिला/शहर :-
- बस स्टेशन का नाम :-
- स्टॉल का नाम :-

2. नव सृजित स्टाल की अर्नेस्ट मनी रू0 50,000/- है।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

नोट:- एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है तो जमा अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार अपर प्रबन्ध निदेशक को होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

स्व-प्रमाणित निविदा
दाता का पासपोर्ट
साइज फोटो

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

उ०प्र०रा०स०प०नि०
क्रम संख्या.....

तकनीकी बिड का प्रारूप

क्र०सं०	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के लिए अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को नोटराइज्ड शपथ पत्र द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।	
2	टेण्डर फार्म रु. 500/- जी.एस.टी. अतिरिक्त के भुगतान की रसीद की छायाप्रति अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में। बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित करें।	
3	आधार कार्ड संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)।	
4	पैन कार्ड संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)।	
5	निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम देय होगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। निविदा अस्वीकृति की दशा में अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट की संख्या, धनराशि, तिथि तथा बैंक का विवरण भी अंकित किया जायें	
6	नवसृजित स्टाल की अर्नेस्ट मनी (Earnest Money Deposit) रु० 50,000/- रहेगी।	

नाम	
हस्ताक्षर	
पता	
मोबाइल नम्बर	

स्व-प्रमाणित निविदा
दाता का पासपोर्ट
साइज फोटो

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

उ०प्र०रा०स०प०नि०
क्रम संख्या.....

वित्तीय बिड का प्रारूप

क्र०सं०	विवरण	
1	निविदादाता का नाम	
2	पिता का नाम	
3	स्थानीय पता	
4	स्थाई पता	
5	निविदादाता का मासिक दर का प्रस्ताव (रु० में) अंकों में (मय सभी टैक्सों के)	
6	शब्दों में दर	
7	किस प्रयोजन हेतु निविदा की जा रही है:- (कैन्टीन/स्टॉल का नाम)	

नाम	
हस्ताक्षर	
पता	
मोबाइल नम्बर	